भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव कम संख्या– एफ0पी0/यू.पी0/एप्रोच/153338/2022

7	योजना/स्कीम का स्थान	भारत पेट्रोलियम करपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया–रोड, एस0एच0–79 कि0मी0 11–12 (चैनेज–100) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं0–418 ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं 05 अदद वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में
	I–राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0 राज्य
	II–जिला	देवरिया
	III–वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग,देवरिया
	IV–वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हे0
	V–वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	VI–हरियाली का घनत्व	संलग्न है। (पृष्ठ संख्या -13)
	VII–प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किए जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किए जाये।	0.40
	VIII–भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र असम्बेदनशील है
	IX–वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0–0 कि0मी0
	X–क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिर्जव बाघ, रिर्जव हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाय)।	लागू नहीं
	XI–क्या क्षेत्र मे वनस्पति और प्राणिजात की दुलर्भ/सकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ/नही तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ?	नही
	XII–क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	रिक्त।
	8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हॉ न्यूनतम है।
	9–क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंन्धी कार्य अभी तक चल रहे है।	उल्लंघन नहीं है।
	10–प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
	(।) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्ड का आकार।	मैप संलग्न है।
	(।।)प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
	(।।।) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढ़ाचा आदि	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीन का विवरण एवं अनुसूची लागत ढ़ाचा संलग्न है।
	(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	108815.00
	(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
	11–जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम–7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
	12–विभाग/जिला प्रोफाइल	सा0वा0 वन प्रभाग,देवरिया मो0 नं0 7839435132
	(।) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि0मी0 या 2527200.00 हे0
	(।।) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हे0
	(।।।) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	15/118.27355
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	लागू नहीं
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
	(5) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	रिक्त
	(क) वन भूमि पर	1.90 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	0.162
	13–प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेसित ।

तिथि – 26/11/2022

स्थान – देवरिया

हस्ताक्षर – R. J. Jagdish

नाम – (जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

सरकारी मोहर –